

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1883/2016/उदयपुर.
2. अपील संख्या - 1884/2016/उदयपुर.
3. अपील संख्या - 1885/2016/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सचिन मोटर्स प्रा० लिमिटेड, पंचवटी, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. ये तीनों अपीलें राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 218, 219 व 220/वेट/15-16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 16.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अतः शास्ति अपास्तीकरण के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. उक्त तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

3. प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में पैसेंजर टेम्पो एवं लोडर की बिक्री की गयी है, जिसमें अपने ग्राहकों से परिवहन कार्यालय के खर्च के अतिरिक्त राशि हैंडलिंग चार्ज के रूप में भी प्राप्त की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि को

लगातार.....2

विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस पर कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज की राशि को कायम रखते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया।


4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया तथा अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने समस्त बिक्री अपने लेखों में घोषित की है तथा प्रस्तुत विवरण पत्रों में दर्ज है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है। निर्णय का सम्बन्धित अंश निम्न प्रकार है -

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य